न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 200 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. गुलाब खां पुत्र खेतु खां 2. फकीर खां पुत्र खेतु खां 3. युसुफ खां पुत्र खेतु खां 4. लियायक खां पुत्र खेतु खां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. इस्माईल खां पुत्र नबु खां 2. जीवन खां पुत्र नबु खां 3. बाबु खां पुत्र नबु खां 4. भंवर खां पुत्र नबु खां 5. इब्राहिम खां पुत्र खेतु खां 6. न्याज खां पुत्र दीदारखां 7. मोहम्मद खां पुत्र खेतु खां 8. मेहराज बानो पुत्री खेतु खां 9. हमीद खां पुत्र जमाल खां 10. शेरू खां पुत्र जमाल खां 11. अमीन खां पुत्र जमाल खां जाति सिपाह मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर 13. शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास, बैंक सिवाना 14. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक सिवाना 15. सिमी बानों पुत्री नबुखां पत्नी हबीब खां निवासी जालोर 16. कमला बानों पुत्री नबु खां पत्नी जीवन खां निवासी सिवाना 17. रसीदा बानों पुत्री नबु खां पत्नी जफर खां, निवासी जालोर 18. जायदा बानों पुत्री नबु खां पत्नी नियाज खां निवासी सिवाना 19. बतुल बानों पुत्री दीदार खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	पत्नी जीवन खां निवासी सिवाना 20. वायदा बानों पुत्री दीदार खां पत्नी लियाकत खां निवासी सिरोंही तहसील व जिला सिरोही 21. बसीरन बानों पुत्री जमाल खां, पत्नी इकबाल खां निवासी सिवाना 22. मंजू बानों पुत्री जमाल खां पत्नी इकबाल खां निवासी सिवाना

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 201 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. गुलाब खां पुत्र खेतु खां 2. फकीर खां पुत्र खेतु खां 3. युसुफ खां पुत्र खेतु खां 4. लियायक खां पुत्र खेतु खां जाति मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. इस्माईल खां पुत्र नबु खां 2. जीवन खां पुत्र नबु खां 3. बाबु खां पुत्र नबु खां 4. भंवर खां पुत्र नबु खां 5. इब्राहिम खां पुत्र खेतु खां 6. न्याज खां पुत्र दीदारखां 7. मोहम्मद खां पुत्र खेतु खां 8. मेहराज बानो पुत्री खेतु खां 9. हमीद खां पुत्र जमाल खां 10. शेरू खां पुत्र जमाल खां 11. अमीन खां पुत्र जमाल खां जाति सिपाह मुसलमान निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर 13. शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास, बैंक सिवाना 14. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक सिवाना 15. सिमी बानों पुत्री नबुखां पत्नी हबीब खां निवासी जालोर 16. कमला बानों पुत्री नबु खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	पत्नी जीवन खां निवासी सिवाना 17. रसीदा बानों पुत्री नबु खां पत्नी जफर खां, निवासी जालोर 18. जायदा बानों पुत्री नबु खां पत्नी नियाज खां निवासी सिवाना 19. बतुल बानों पुत्री दीदार खां पत्नी जीवन खां निवासी सिवाना 20. वायदा बानों पुत्री दीदार खां पत्नी लियाकत खां निवासी सिरोंही तहसील व जिला सिरोही 21. बसीरन बानों पुत्री जमाल खां, पत्नी इकबाल खां निवासी सिवाना 22. मंजू बानों पुत्री जमाल खां पत्नी इकबाल खां निवासी सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2023 बअनवान इस्माईल खां बनाम इब्राहिम खां वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2024(संशोधित 18.03.2024) व दिनांक 30.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पीराणे खान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कानाराम गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 05 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—29.01.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत दोनों ही अपीले एक ही आराजी एवं समान खातेदारों के मध्य विवाद के बिंदुओं को लेकर है इसलिए निर्णय दोनों ही अपीलों का साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक पृथक अपील पर रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/उतरदाता ने अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान सहायक कलक्टर सिवाना के न्यायालय में स आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 628, 629, 630 रकबा क्रमशः 0.1012 हैक्टयर, 0.0126 हैक्टयर, 3.77560 हैक्टयर मौजा सिवाना पटवार हल्का सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी में वादी/उतरदाता का 1/16 हिस्सा है जिसे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने हेतु मातहत अदालत में पेश किया गया। वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में मृतक जलाल खांन को पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी करने का उल्लेख किया गया जबकि जलाल खां दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत होने से पहले ही दिनांक 22.09.2004 को फौत हो गये। हस्तगत वाद मृतक पक्षकार के विरूद्ध पेश किया गया। जमाल खां पुत्र कासु खां की मृत्यु दिनांक 22.09.2024 को हुई तथा दरिया पत्नी खेतू खां जी फौत दिनांक 07.05. 2022 को हुए बावजूद पक्षकार बनाया गया तथा डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवानाको विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने से पहले तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी। हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकारों का पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RBJ 2012 Page 246
DNJ(Rev.) 2023(1) Page 754
RRT 2023(1) Page 648
RRT 2024(1) Page 245
RBJ 2022 Page 465
RBJ 2022 Page 632
RBJ 2022 Page 8
RBJ 2011 Page 609

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारो को पक्षकार बनाया गया। बंटवारे के वाद में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों को ही पक्षकारा बनाया जा सकता है। अपीलाधीन आराजी में वादी/उतरदाता का कुल रकबे में 1/16 वां हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व रिकॉर्ड में हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलधीन एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात दिनांक 08.11.2024 को प्रार्थी संख्या 01 व अन्य व्यक्ति को भूमि दिखाने के लिए आये तब हमने कहा यह भूमि तो हमारे बंट की है तब हमने कहा यहां तो हमारे घर बने हुए हैं। तब अप्रार्थी संख्या 01 ने कहा कि सिवाना कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला हो गया है। तब प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी सिवाना आकर उक्त निर्णय दिनांक 30.8. 2024 व प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी हुई। दिनांक 08.11.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए नकल प्रार्थना–पत्र पेश किया उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सलग्न दस्तावेज उसी रोज दिनांक 08.11.2024 को प्राप्त हुए तब उक्त निर्णय का प्रथम ज्ञान हुआ। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पेश अपील में हिस्सों को लेकर कोई आपति पेश नहीं की गई जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की घोषणा की गई जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विधि सम्मत है। इसलिए प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पेश अपील खारिज की जाती है। उभयपक्षकारान की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील में आपति की गई की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक विरूद्ध पारित की गई जबकि हस्तगत वाद बंटवारे का वाद में जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये किये गये बंटवारे को मृतक के विरूद्ध पारित किया गया बताकर निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश करने से उभयपक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचना दी गई। उपर्युक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणीयां टांके, पशु बाड़े, भूमि के उपजाऊपन, अनुसार बाई बिटस एण्ड बाउडस अनुसार, बहिस्सा अनुसार मौका अनुसार मौके पर खातेदारान के रूबरू किया गया। अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर बार बार आपति जताई गई अंतिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 30.08.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सिवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपीले सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीले अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2023 बअनवान इस्माईल खां बनाम इब्राहिम खां वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2024(संशोधित 18.03.2024) व दिनांक 30.08.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर